भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JU

76 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 414958

न्यास पत्र

यह प्रलेख दिनांक 20 नवम्बर 2009 ई. को वाराणसी में श्री सरोज कुमार सिंह पुत्र श्री राम चरित्र सिंह निवासी ग्राम पचेवरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर उ० प्र० जो भारत के रहने वाले हैं, जिनको यहा बाद में "सैटलर" कहा जायेगा। (इस शब्द में उनके उत्तराधिकारीयों निष्पादकों तथा प्रशासकों को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान संदर्भ में उसके अर्थ के विरुद्व न हो) एक पक्ष तथा 2– श्री राम चरित्र सिंह पुत्र स्व. श्री सीता सिंह निवासी ग्राम पचेवरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर 3– श्री पारस नाथ सिंह पुत्र श्री राम चरित्र सिंह निवासी ग्राम पचेवारा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर 4– श्री प्रेम कुमार सिंह पुत्र श्री राम चरित्र सिंह ग्राम पचेवारा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर 5– श्री अक्षय कुमार सिंह पुत्र श्री राम चरित्र सिंह ग्राम पचेवरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर उ0 प्र0 के रहने वाले हैं, जिनको यहाँ बाद में 'न्यासीगण' (इस शब्द में न्यासीगण या इस संदर्भ में कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासी तथा न्यासीगण के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारीगण,

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 512519

निष्पादकों तथा प्रशासकों, उनके प्रतिनिधि को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान संदर्भ में उसके अर्थ के विरुद्ध न हो) द्वितीय पक्ष।

सम्पत्ति

अ– सम्पत्ति रू. 10,000।

सेटलर रू.10,000/–नगद पर न्यास की स्थापना कर रहा है। भविष्य में दान, क्रय तथा पट्–टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी। न्यास की कुल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य रू. 10,000/– होता है। जिस पर स्टाम्प शुल्क रू.1000/–का अदा किया जा रहा है।

ब– सेटलर परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने का इच्छुक है।

स– न्यासीगण द्वारा न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये है, जैसा कि इस लेख पत्र के निष्पादन हेतु उनके पक्षकार बनने से स्पष्ट है।

Scanned with OKEN Scanner

6314
2011-8

दान पत्र

10,000.00

200.00	40	240.00	2,000
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती सरोज कुमार सिंह
पुत्र / पत्नी श्री राम चरित्र सिंह
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी ग्रा0 मवैयता चुनार मिर्जापुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/11/2009 समय 2:43PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

सरिता राय
SRO3
Sub Registrar-3
20/11/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
दाता
श्री/श्रीमती सरोज कुमार सिंह
पुत्र/पत्नी श्री राम चरित्र सिंह
पेशा व्यापार
निवासी ग्रा0 मवैयता चुनार मिर्जापुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री विनोद कुमार सिंह
पुत्र श्री रमाशंकर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बी 24/5 [illegible] वाराणसी
व श्री अशोक कुमार तिवारी एड0
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी दी0क0वाराणसी
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

सरिता राय
SRO3
Sub Registrar-3
20/11/2009

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 512518

द– इस लेख पत्र के पुर्वभास में उपरोक्त 10,000/– रुपया की धनराशि पहले ही इस लेख पत्र के निष्पादन के पूर्व ही न्यासीगण को स्थानान्तरित, अदा एवं हस्तगत कर दिया गया है।

<u>अब यह न्यासपत्र निम्नलिखित का साक्षी है :–</u>

(1)– उपरोक्त न्यास के न्यासीगण द्वारा न्यास के लिए उपरोक्त धनराशि यहाँ बाद में लिखी गयी शक्तियों, प्राविधानों संविदा तथा घोषणा के अधीन धारित करेंगे।

(2)– न्यासीगण एतद्–द्वारा घोषणा करते हैं कि वे उपरोक्त धनराशि को धारित करेंगे। (सरलता के उद्देश्य से उक्त धनराशि को न्यासकोष यहाँ बाद में कहा जायेगा) इस शब्द के अर्थ में हर प्रकार की सम्पत्ति तथा किसी भी प्रकार का निवेश जिसमें कि उपरोक्त सम्पत्ति या निवेश या उसका कोई भाग समय–समय पर परिवर्तित या निवेशित किया जा सकता है जैसा कि इस न्यास तथा उससे सम्बन्धित शक्तियों प्राविधानों, संविदाओं तथा घोषणाओं जिनका विवरण यहाँ बाद में दिया जा रहा है, के अधीन न्यास द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।

3.

C.No. 6315

20.11.57

Name Saroj Pr. Singh

Address Pocha ward ...

S/O

[illegible] Civil Court

L.No. [illegible]

न्यारी

Registration No 205 Year : 2009 Book No. 4

0101 सरोज कुमार सिंह

राम चरित्र सिंह

ग्राम पचेवरा चुनार मिर्जापुर

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 512520

(3)– यह कि परोपकारी न्यास "रामरत्ती शैक्षिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट" के नाम से जाना जायेगा और इसका प्रधान कार्यालय एस–8/389, खजुरी गोला वाराणसी उत्तर प्रदेश या समय–समय पर इस न्याय के न्यासकर्तागण द्वारा निर्णित किये गये स्थान पर होगा। उपरोक्त न्यास "रामरत्ती शैक्षिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट" उपरोक्त धनराशि का उपयोग सार्वजनिक कल्याण अर्थात जाति, वर्ग, लिंग आदि की भावना से परे शिक्षा चिकित्सा एवं अन्य उद्देश्यों के लिए किया जायेगा और न्यास का लाभ मानवता की सेवा के उद्देश्य से जन साधारण हेतु उपलब्ध होगा। इस न्यास में न्यासीगण लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे। इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।

(4)– न्यासीगण न्यास कोष की समस्त धनराशि को धारित करेंगे। जिसमें न्यास की सामग्री में दी जाने वाली सहयोग राशि, उपहार, दान, विज्ञापन द्वारा अर्जित धनराशि भी शामिल होगी जो इस न्यास कोष का हिस्सा होगी तथा न्यास कोष की आय एवं

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 512516

लाभ में से सर्वप्रथम न्यास के प्रबंधन प्रशासन एवं निष्पादन में होने वाले खर्च में भुगतान किया जायेगा।

(5)– निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु न्यास कोष का उपयोग किया जायेगा।

<u>शैक्षिक सहायता:</u>

बेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्र–छात्राओं को शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना तथा विशेष रूप से–

क– इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पालिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना।

ख– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करना।

ग– विधि महाविद्यालय खोलना तथा उसका प्रबन्धन करना।

घ– एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल संस्थान, डेंटल कालेज की स्थापना करना तथा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 512515

इन कालेजों के संचालन हेतु मानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण करना तथा उन्हें संचालित करना।

ङ– कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालित करना।

च– वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविर का प्रबन्ध या उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानों तथा शिविरों को समर्थन देना।

छ– न्यास के उद्देश्यों के अनुसार बिना लाभ अर्जित किये हुए छात्रावासों, प्रेक्षागृहों, जिमनेजियम, आडिटोरियम तथा स्टेडियम व म्यूजियम का निर्माण करना।

ज– शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना, उसकी सहायता एवं उत्साहवर्धन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

S 512514

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ञ– छात्र–छात्राओं हेतु अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना।

ट– जाति, धर्म, समुदाय वर्ग या लिंग का भेद किये बिना निर्धन जरूरतमन्द एवं योग्य छात्रों को उनकी फीस मे छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

ठ– योग्य एवं जरूरतमन्द छात्रों को छात्रवृत्ति, अनुदान, सहायता तथा पुरस्कार देना।

ड– शैक्षिक उद्देश्य से स्थापित संस्थानों को नकद अनुदान देना एवं पुस्तकीय एवं शैक्षिणिक सामग्री या अन्य किसी रूप मे दान देना।

ढ– न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहित करना या इमारत बनवाना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु कोष एकत्रित करना।

ण– अच्छे विचारों व साहित्यों को पैम्फलेट, बुकलेट तथा पुस्तकों आदि के प्रकाशन द्वारा या संगोष्ठियों, सभाओं, कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन प्रसारित करना।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 821870

य– विकलांग बच्चों हेतु अन्ध विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय तथा विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना।

फ– निजीक्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन।

<u>चिकित्सीय सहायता</u>

निर्धन व जरूरतमन्द लोगों को चिकित्सीय सहायता देना विशेष रूप से:–

अ– खैराती चिकित्सालयों, नर्सिंग होम तथा मैटरनिटी होम, आँख अस्पताल आदि को प्रारम्भ करना।

स– निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगों को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आधे शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना या उसकी प्राप्ति में सहायता करना।

द– निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगों को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय में सहायता देना या अन्य किसी चिकित्सालय में भी भर्ती होने पर सहायता देना।

य– किसी भी चिकित्सालय को या किसी चिकित्सा संस्थान को ऑपरेशन सामग्री एवं बेड आदि की सहायता देना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 821869

र– औषधि के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु किसी व्यक्ति या चिकित्सा संस्थानों या चिकित्सालयों, समितियों को सहायता देना तथा दान देना।

ल– ऐसे सभी कार्यों को करना जिसमें निर्धनों की सहायता होती हो।

व– भूमि या भवन खरीद कर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु धन संग्रह करना।

श– निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, एड्स जागरूकता शिविर, विकलांग शिविर मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।

<u>सामान्य उद्देश्य :</u>

1– मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों के विकास एवं उन्नयन तथा उनके स्वतंत्र जीवन एवं व्यवसाय हेतु सहायता करना, तथा उत्साहित करना।

2– बाढ़ ग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदा ग्रस्त तथा अन्य विपत्तियों में परेशान लोगों को राहत पहुँचाना।

3– निर्धन विधवाओं के लिए संस्थानों या कोष की स्थापना।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 821871

4– बेरोजगार व्यक्तियों तथा वृद्धजनों के लिए आवासों की स्थापना एवं रख रखाव निःशुल्क या उनके रहने के लिए शुल्क में छूट कुछ शर्तों पर देकर (एक निश्चित अवधि के लिए देकर) करना जिसमें शर्तों तथा अवधि का निर्धारण न्यासीगण जैसा उचित समझेंगे करेंगे।

5– जल की कमी वाले क्षेत्रों में जहा कहीं भी हो वहां पर कूऑं खोदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराना।

6– भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जनसाधारण, सरकार द्वारा पंजीकृत समितियों, संगठनों से नकद धन तथा नकद दान तथा चल अचल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्तियों में अधिकार उन शर्तों पर प्राप्त करना जो कि न्यासीगण न्यास के उद्देश्य हेतु उचित समझते हों।

7– न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उद्देश्य हेतु बिल्डिंग बनवाना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 821872

8– न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी सम्पत्ति के अधिकार तथा हित को बेचना, सुधारना, प्रबन्ध करना, विकसित करना, अदला– बदली करना, लीज पर देना तथा मारगेज करना तथा न्यास के किसी खाता को निस्तारित कर देना।

9– यहाँ बाद में दिये गये उद्देश्यों गतिविधियों तथा कार्यों को संचालित करने वाले किसी न्यास संस्थान या लोगों के संगठन को सहायता देना।

10– अन्य विधिक कार्यों गतिविधियों तथा लेखपत्रों जिसे न्यासीगण उचित समझते हो से सामान्य रुप से निष्पादित करना।

11– उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य उद्देश्यों वाले किसी अन्य न्यास या संस्थान में न्यास को शामिल करना या उनसे सहयोग करना या उनके साथ संयुक्त रुप से मिलकर प्रबन्ध न्यासी की सहमति से कार्य करना जैसा की कानून के द्वारा अनुमन्य हो।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 821873

12– ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाने, भौतिक समृद्धि प्रदान करने, सामाजिक न्याय एवं समानता दिलाने तथा उनके बौद्धिक– शारीरिक एवं सामाजिक पक्ष को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संचालित करना।

13– सामुदायिक विवाह तथा विवाह की रस्मों को पूर्ण करवाने में सहायता देना तथा सामूहिक विवाह का आयोजन व प्रोत्साहित करना।

14– न्यासीगण द्वारा तय किये गये जन– कार्यों को करना जो जन– सामान्य के लिए लाभदायक हो।

उपरोक्त के अलावा एतद्द्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (जी) या उसमें समय– समय पर किया गया संशोधन पुनअधिनियम प्रभावी होगा जिसके द्वारा दान– दाताओं को आयकर से अलग रखा जायेगा या छूट मिलेगी। किसी वर्ष या वर्षों में उपरोक्त आय का यदि कोई अतिरिक्त और उपयोग न किया गया भाग बचता है तो उसे निवेश कर दिया जायेगा और उससे समय– समय पर प्राप्त

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 821875

आय को ऐसे निवेश में लगाया जायेगा जिसमें एतद-द्वारा न्यास कोष को निवेशित करने हेतु निर्देशित एवं अधिकृत किया गया है और न्यासीगण को उसे उसी तरीके से एवं उसी सीमा तक खर्च करने और उपयोग करने का अधिकार होगा, मानो इस प्रकार का संचय या उसका भाग वर्ष या वर्षों की आय का हिस्सा था जिसमें उसको ऊपर कहे गये अनुसार खर्च एवं उपयोग किया गया। ऊपर तय किये गये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को वहन करने में न्यासीगण के लिए यह वैध होगा कि वे स्वतंत्रता पूर्वक न्यास कोष या उसकी आय को अपने अबाध विवके से उन नियमों व शर्तों पर जिसे वे उचित समझते हों किसी न्यास, न्यासों, संस्थानों, पंचायत, स्थानीय परिषद या नगरपालिका की सामग्री या कोष में दान दें या अनुदान दें तथा न्यास या न्यासों के साथ सहयोग करते हुए कार्य करें व खर्चों में सहभागी बनें या नये न्यासों को धन दें किन्तु हमेसा इस शर्त पर कि लाभ किसी विशेष समुदाय, धर्म, जाति, या लिंग तक सीमित न हो।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

08AA 833157

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6) आगे न्यास की गतिविधियों को उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्य की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से न्यास निम्नलिखित कर सकता है।

1– अनुदान, दान, उपहार, धन की वसीयत तथा सभी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति को बिना किसी शर्त या किसी विशेष नियम व शर्त जो कि न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के विपरीत न हो को माँगना, प्राप्त करना, या स्वीकार करना।

2– न्यास से सम्बन्धित या उसके नियत्रण की किसी सम्पत्ति या सम्पत्तियों को बेचना, देना, आदान – प्रदान करना, बंधक रखना, चार्ज करना, पट–टे पर देना जमानत को बदलना, निस्तारित कर देना या अन्य प्रकार से डील करना।

3– समय–समय पर बैंक वित्तीय संस्थानों या संगठनों आदि से न्यास के किसी उद्देश्य हेतु सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के बिना न्यास के वर्तमान या भविष्य के असेट्स, बिल्डिंग, मशीनें, भूमि व सामानों को बंधक चार्ज क्रियेट करके या हाइपोथिकेट करके या इस सबके बिना धन इकट्ठा करना या ऋण लेना

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 821868

तथा ऋणदाताओं को विक्रय का अधिकार या अन्य अधिकार देना जैसा कि उचित हो तथा इस प्रकार की सिक्योरिटीज को खरीदना या उन्हें छुड़ाना।

4– न्यास के किसी धन को जिसका न्यास के किसी उद्देश्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता न हो को न्यास के संविधान में प्रदत्त तरीके से निवेशित करना तथा डील करना जैसा कि समय– समय पर तय किया जा सकता है।

5– न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति मे न्यास निम्नलिखित कर सकता है :–

क– विद्यालयों, कालेजों, तथा ऐसे संस्थानों जो विकलांग बच्चों को सहायता देते हों उनके विद्यार्थियों को ऋण देना, छात्रवृत्ति देना निःशुल्क दुकानें देना, पुरस्कार देना तथा आर्थिक सहायता करना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहने वाले समूहों को उपरोक्त प्रकार की सहायता देना।

ख– न्यास कोष या उसके किसी भाग को न्यास बनाने में या उससे सम्बन्धित प्रबन्धन व प्रशासन में होने वाले खर्चों को देना जिसमें सभी प्रकार के किराये, कर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0BAA 821874

तथा कर्मचारियों का वेतन इंजीनियरों का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरों का भुगतान या कम्पनियों को भुगतान करना जो शैक्षिक निर्देशन एवं सहायता देती हो।

ग– शिक्षकों पेशेवर लोगों तथा अन्य की सेवाओं को नकद पारिश्रमिक या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक या उपहार प्राप्त करना।

घ– उपरोक्त उद्देश्यों हेतु ऐसे लेख पत्र पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना तथा वादा करना, जैसा कि आवश्यक हो।

ङ– न्याय के उद्देश्य की तरक्की हेतु वांछित समझी जाने वाली पुस्तकों, पम्फलेट तथा पोस्टरों का छपवाना, प्रकाशित करवाना तथा प्रदर्शनी लगवाना।

च– ऐसे सभी विधिक कार्यों को करना, लेखपत्र लिखना जो कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रेरक एवं प्रासंगिक हो।

(7)– ऐसे किसी न्यास समिति, संस्थान या संस्था के साथ मिश्रित हो जाना जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतः उपरोक्त न्यास के लक्ष्य के समान हो।

[redacted]

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 76AA 992508

(8)– [illegible] कही गयी या यहाँ बाद में कही गयी है उसके [illegible] न्यास कोष की आय इस प्रकार के सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु खर्च किया जायेगा, जो कि आयकर अधिनियम 1961 या अन्य कोई अधिनियम जो सार्वजनिक कल्याण के न्यासों की आय से सम्बन्धित हो द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों शर्तों एवं सीमाओं के अधीन होगा।

(9) श्री सरोज कुमार सिंह को न्यास के नाम से बैंक में खाता खोलने, देख–रेख करने, संचालित करने का अधिकार होगा जैसा कि वे समय–समय पर न्यास कोष से सम्बद्ध किसी भाग या उसकी आय को फिक्स्ड डिपॉजिट करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेंगे जिसका संचालन श्री सरोज कुमार सिंह कर सकते हैं, फिर भी यदि किन्हीं परिस्थितियों में उपरोक्त न्यासी उपलब्ध नहीं है तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में श्री पारस नाथ सिंह द्वारा संचालित किया जा सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16AA 992507

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10) उपरोक्त प्राविधानों के अधीन विधिनुसार न्यासीगण न्यास कोष तथा अपने पास के धन को किसी सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज में निवेशित करने (यदि वांछित हो) या अपने विवेकानुसार किसी निवेश या सिक्योरिटी को बदलने का भी अधिकार होगा।

1– न्यास कोष से सम्बद्ध या अधिग्रहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने, पुनर्निर्माण कराने, परिवर्तन करने, सुधारने, विकसित करने, या मरम्मत करने जैसा कि न्यासीगण उचित समझते हों इसका उन्हें विधिक अधिकार होगा।

2– प्रबन्ध न्यासीगण को अन्य सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ संविदा करने लेखपत्र लिखने या उन सम्पत्तियों के स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ हेतु जैसा कि समय– समय पर प्रबन्ध न्यासीगण उचित समझते हों जिसका की उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार होगा, लेख पत्र लिखने का भी अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये   FIVE RUPEES

रु.5   सत्यमेव जयते   Rs.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   16AA 992506

3– न्यासीगण को किसी सम्बद्ध/अधिग्रहीत सम्पत्ति को आग लग जाने या अन्य प्राकृतिक विभीषिका से बचाने हेतु तथा अन्य खतरों एवं नुकसानों जिसको कि न्यासीगण उचित समझों हो समय समय पर बीमा कराने का अधिकार होगा, लेकिन उन न्यासीगण या किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को जो कि बीमा होने से छूट गयी है को नुकसान पहुँचने पर किसी भी प्रकार से उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगा।

4– अचल सम्पत्तियों की आय एवं लाभ में से सभी किरायों, मूल्यों, करों तथा अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बचे हुए धन को जैसा कि न्यासीगण उचित समझे भारी मरम्मत कराने में उपयोग करने या निवेश करने और उसकी आय को भारी मरम्मत कराने या पुनर्निर्माण कराने या अचल सम्पत्तियों को बहाल करने या नव निर्माण कराने तथा इस बीच में इन व्यक्तियों द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियों में उस बचे हुए धन को निवेश करने का अधिकार भी न्यासीगण को होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16AA 992505

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)– न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष को किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भी भाग को कब्जे में लेने या उपयोग करने की अनुमति देने का भी न्यासीगण का अधिकार विधिक होगा।

(13)– सम्पूर्ण न्यास कोष या उसके किसी भाग को ऐसे किसी समय जिसे न्यासीगण अपने पूर्ण विवेक से ठीक समझे, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने या व्यक्तिगत संविदा करने या अदला बदली करने या स्थानान्तरित करने या देने (एलाट करने) या पट्टा या दरपट्टा पर किसी भी अवधि के लिए देने चाहे वह कितनी भी लम्बी हो या न्यास कोष की सभी सम्पत्ति भी शामिल है या उसके किसी भाग को मालिकाना के उन नियमों एवं शर्तों पर जिसे न्यासीगण न्यास के हित में उचित समझते हों को निस्तारित करने (निपटाने) तथा किसी मुहायदानामा अदला–बदली स्थानान्तरण, एलाटमेन्ट, पट्टा को खरीदने, समाप्त करने या बदलने का तथा उपरोक्त के द्वारा किसी प्रकार की क्षति होने पर उसके लिए उत्तरदायी

हुए बिना अधिकार होना तथा इन उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक लेखपत्र या अदला- बदली एलाटमेन्ट, स्थानान्तरण, पट्टा दरपट्टा, तथा दूसरे आश्वासनों तथा सभी आवश्यक रसीदों, मोचन, मुक्त करने सम्बन्धि लेखपत्रों को प्रतिफल धन या अन्य के आधार पर निष्पादित करने का अधिकार न्यासीगण का विधिक होगा। इस प्रकार के स्थानान्तरण या अन्य आश्वासनों से प्राप्त आय न्यास का भाग मानी जायेगी।

(14)– न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादन का नियमित लेखा-जोखा रजिस्टर विधिनुसार बनाये रखेंगे।

(15)– उपवर्णित शक्तियों के अन्तर्गत न्यासीगण द्वारा कुछ बेचने या स्थानान्तरित करने पर केता या विक्रेतागण या जिसके पक्ष में स्थानान्तरण हुआ हो और जो न्यासीगण के साथ सद्भावनापूर्वक उक्त कार्य सम्पादन में शामिल रहे हों को न तो उपरोक्त निष्पादन हेतु उत्पन्न हुए कारण या उपरोक्त शक्तियों को देखने या जाँच करने या न्यासीगण की नियुक्ति तथा अवकाश ग्रहण सम्बन्धि प्रावधनों का परिपालन हुआ कि नहीं इसकी जाँच करने-का अधिकार होगा और न ही उपरोक्त प्रकार के विक्रय से प्राप्त धन या उसके प्रतिफल को उपयोग देखने से कोई मतलब होगा या उपरोक्त धन या प्रतिफल कहीं लगाया गया या नहीं या उससे कोई क्षति हुई इससे न तो उनसे न तो कोई मतलब होगा और न वे उत्तरदायी होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(16)– न्यासीगण समय– समय पर उन नियमों व शर्तों पर जैसा कि उन्हें समीचीन लगता हो एक या अधिक सचिवों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों, लिपिकों तथा दूसरे कर्मचारियों व नौकरों की नियुक्ति करके उनका पारिश्रमिक तय कर सकते हैं।

(17)– न्यास के लक्ष्यों के निर्वहन से उद्देश्य से न्यासीगण को उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्चों का पुनर्भुगतान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कोई भी न्यासी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन या लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

(18)– श्री राम चरित्र सिंह, श्री सरोज कुमार सिंह, श्री पारस नाथ सिंह, श्री प्रेम कुमार सिंह, श्री अक्षय कुमार सिंह अपने जीवन काल तक स्थायी न्यासी होंगे, उपरोक्त स्थायी न्यासी में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके सभी विधिक उत्तराधिकारीगण न्यास के स्थायी न्यासी होंगे।

(19)– श्री सरोज कुमार सिंह, श्री पारस नाथ सिंह हमेशा न्यासीगण की परिषद के क्रमशः अध्यक्ष / सभापति, होंगे तथा न्यास की मीटिंग का सभापतित्व करेंगे। यदि न्यास की किसी मीटिंग में उपरोक्त स्थायी न्यासीगण किसी कारण से उपस्थित नहीं हैं तो उस विशेष मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार उपस्थित न्यासीगण का होगा। इस न्यास का सचिव तथा इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का प्रबन्धक सेटलर स्वयं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(20)– न्यासीगण की प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही का सारांश उस उद्देश्य हेतु रखी गयी सारांश पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और उस मीटिंग या अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा और जब उक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज एवं हस्ताक्षरित हो जायेगी तब वह वहाँ पर किये गये या कार्यवाही की निर्णायक साक्ष्य होगी।

(21)– न्यासीगण की न्यूनतम संख्या सेटलर सहित पाँच होगी। स्थायी न्यासीगण को कुछ समय के लिए न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम् तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा कि वे आवश्यक मानते हों करने का अधिकार होगा, किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या बारह से अधिक नहीं होगी। किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने या किन्हीं कारणें वश किसी न्यासी के न्यास से त्यागपत्र दे देने वाले न्यासी के स्थान पर नये न्यासीगण की नियुक्ति का अधिकार होगा।

(22)– भारतीय न्यास अधिनियम के सुसंगत, प्रावधानों के अधीन न्यासीगण अपने निर्बाध विवेकानुसार इस प्रकार के नियमों एवं शर्तों जिसे वे उपयुक्त व आवश्यक मानते हों इस लेखपत्र के न्यास की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास की या संस्थान से जोड़ या मिला सकते हैं।

(23)– किसी कार्य को करने या किये जाने की अनुमति देने या न्यास के प्रशासन में या अधिकारों (शक्तियों) के बारे में या न्यास के किसी खण्ड या वाक्यांश के सच्चे आशय या अभिप्रायः के सम्बन्ध में न्यासीगण में भिन्नता होने पर उसको न्यासीगण

के बहुमत के विचार द्वारा निपटाया जायेगा तथा न्यासीगण के समान रूप से विभक्त होने की स्थिति में प्रबन्ध न्यासी को मत देने का अधिकार होगा। प्रबन्ध न्यासी के मत से युक्त न्यासीगण के बहुमत का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा।

(24)– समय– समय पर न्यास के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रशासन तथा प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में न्यासीगण को आडिटर, आर्किटेक्टर, सर्वेयर, एकाउन्टेन्ट, वैल्यूअर, सालीसिटर, एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मैनेजर तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें इस प्रकार का शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा कि न्यासीगण समय–समय पर अपने निर्बाध विवेक से उपयुक्त समझें भुगतान करने का अधिकार होगा।

(25)– प्रबन्ध न्यासी, न्यासीगण में से किसी एक को न्यायालय, ट्रिब्यूनल, प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

(26)– इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र वाराणसी उ0प्र0 होगा।

(27)– न्यासीगण न्यास के एकाउन्ट का आडिट करायेंगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानों या उसके संशोधनों का पालन करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(28)– न्यास के समस्त सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गयी है।

सेटलर– सरोज कुमार सिंह

दिनांक 20/11/2009

गवाह– 1– विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री रमा शंकर सिंह

B25/5 काश्मीरी गंज खोजवा वाराणसी

विनोद कुमार सिंह

सुशील कुमार कश्यप S/o स्व. विजय मोहन सिंह कश्यप

के.12/[illegible], रामकटोरा वाराणसी

2– [illegible]

टाइपकर्ता बचनू यादव, दीवानी न्यायालय

स्टाम्प पत्र लेखक – अशोक कुमार तिवारी

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

इस न्यास विलेख में कुल रू. 1000/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

(सरोज कुमार सिंह)

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा 32 ए0 के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस

अंगूठा.................. तर्जनी............. मध्यिका........... अनामिका....... कनिष्ठिका

दाहिना हाथ

बायाँ हाथ

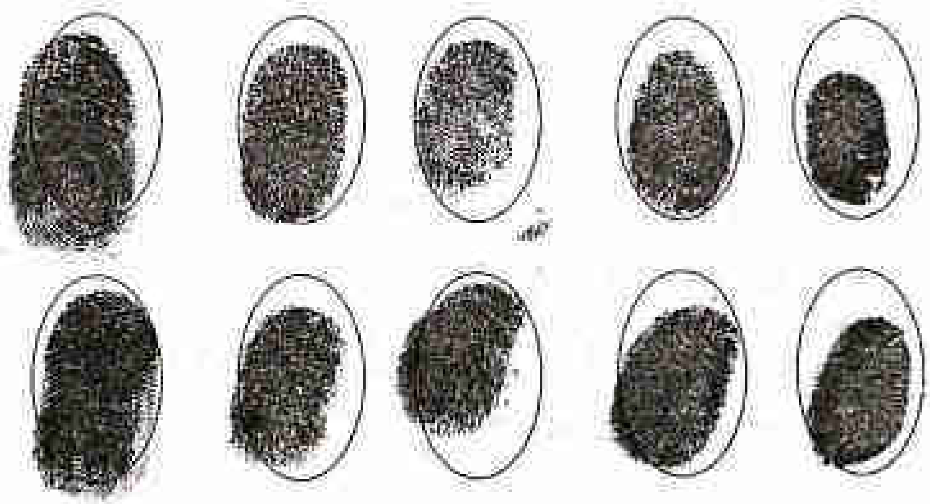

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक **20/11/2009** को

बही सं **4** जिल्द सं **56**

पृष्ठ सं. **85** से **138** पर क्रमांक **265**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

सरिता राय

SRO3

Sub Registrar-3

20/11/2009